संख्या-9/1मुं0मं0/60-3-14-13(7)/14

सेवा में,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

महोदय,

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-3 लखनऊ ::दिनांक :: 9 जून,2014

विषय- महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध् और प्रतितोष्) अधिनियम-2013 के क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रिट पिटीशन (क्रिमिनल) संख्या- 666-70/92 विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 13-8-1997 को विस्तत निर्णय पारित किया गया था। मा0 उच्च न्यायालय के संदर्भगत निर्णय के अनुपालन में उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न को प्रतिषेधित करने के लिए शासनादेश संख्या-679/60-3-2001-3(42)/97, दिनांक 20 मार्च, 2001 निर्गत किय गया था जिसमें अन्य प्राविधानों के साथ-साथ कार्यस्थलों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न संबंधी मामलों के प्रकाश में आने पर कार्यवाही/संस्तुति हेतु शिकायत समिति के गठन की भी व्यवस्था की गई थी।

2- सम्प्रति भारत सरकार द्वारा दिनांक 09 दिसम्बर, 2013 को "महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013" प्रख्यापित किया जा चुका है। इस अधिनियम को लागू करने हेतु भारत सरकार द्वारा दिनांक 09 दिसम्बर, 2013 को ही अधिसूचना निर्गत कर दी गई है, जिसके फलस्वप उपर्युक्त अधिनियम-2013 दिनांक 09 दिसम्बर, 2013 से ही पूरे भारत वर्ष् में प्रभावी हो गया है। प्रश्नगत अधिसूचना दिनांक 09 दिसम्बर, 2013 बेवसाइट www.wed.nic.in पर उपलब्ध है।

3- इस प्रकार "महिलाओं को कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013" के प्रभावी होने के परिणामस्वरूप कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न को प्रतिषेधित करने विषयक उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-679/60-3-2001-3(42)/97, दिनांक 20 मार्च, 2001 एवं उसके अनुवर्ती निर्गत समस्त शासनादेश निष्प्रभावी हो गये है। अत: उन्हें तात्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है, अर्थात महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के निवारण, प्रतिषेध और

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रतितोष के संबंध में अब भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित उपरोक्त अधिनियम-2013 के प्राविधान लागू होंगे।

4- प्रश्नगत अधिनियम की धारा-4 के अन्तर्गत आंतरिक परिवाद समिति एवं धारा-7 के अन्तर्गत स्थानीय परिवाद समिति के गठन, समितियों के आकार प्रकार, उसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की अर्हताओं, उनके कार्यकाल, उन्हें हटाये जाने आदि के संबंध में प्राविधान किये गये हैं।

5- प्रश्नगत अधिनियम 2013 की धारा-5 के अन्तर्गत संबंधित राज्य सरकार को इस आशय की शक्ति भी प्रदान की गयी है कि राज्य के प्रत्येक जिले में प्रश्नगत अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने या कृत्यों का निर्वहन करने के लिए किसी अधिकारी को जिला अधिकारी के रूप में नामित किया जायेगा। अत: उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों के जिलाधिकारियों को इस अधिनियम की धारा-5 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने या कृत्यों का निवर्हन करने के लिए जिले के अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया जाता है।

इसी प्रकार अधिनियम-2013 की धारा-8 की उपधारा-(3) एवं (4) के निवर्हन तथा अधिनियम की धारा-7 की उपधारा-(4) के अन्तर्गत निर्दिष्ट फीस व भत्तों के संदाय हेतु अधिनियम की धारा-8 की उपधारा-(2) में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के लिए महिला कल्याण निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ को अभिकरण के रूप में स्थापित किया जाता है।

6- अत: कृपया अपने-अपने अधीनस्थ विभागों/कार्यालयों/निगमों/संस्थानों निकायों/उपक्रमों/परिषदों/बोर्ड में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित " महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध् और प्रतितोष्) अधिनियम-2013" के प्राविधानों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु अधिनियम में उल्लिखित "आन्तरिक परिवाद समिति" एवं "स्थानीय परिवाद समिति" का गठन कर अधिनियम की धारा-7 की उपधारा-(4) के अन्तर्गत समिति में नाम निर्दिष्ट किये गये सदस्यों की सूची, फीस व भत्तों के संदाय हेतु अभिकरण के रूप में स्थापित महिला कल्याण निदेशालयण्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु संकलित सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(**आलोक रंजन**)
मुख्य सचिव।

<u>संख्या-1मु0मं0(1)/60-3-14-तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -:

1- प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, उ0प्र0 को सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के संदर्भ में आवश्यक निर्देश जारी करने हेतु।

2- प्रमुख सचिव/सचिव, श्रम विभाग, उ0प्र0 शासन को श्रमिकों, औद्यौगिक कर्मचारियों एवं असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के संदर्भ में प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- प्रमुख सचिव, शिक्षा, उ0प्र0 शासन को विश्व विद्वयालयों, महाविद्वयालयों प्राविधिक शिक्षा संस्थाओं एवं सहायता प्राप्त माध्यमिक/बेसिक शिक्षण संस्थाओं के संबंध में प्रभावी व्यवस्था सुनिि्शचत कराने हेतु।

4- निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 को समस्त नागर निकायों में प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित कराने हे कराने हेतु।

5- निदेशक, महिला कल्याण् को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे कृपया इस संबंध में समस्त विभागों की संकलित सूचना शासन को समय-समय पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(नीलिमा श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in